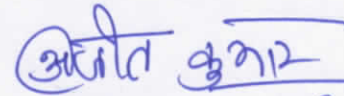


मलवा निस्तारण से संबन्धित प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर,डोड़हर,अधौरा,मिटिहिनी,खैरी,सिरसोती,झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ़०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ़०नं० 8-412/1989-एफ़०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है तथा (744-555.759)=188.241 हे० वन भूमि वन विभाग को वापस किया जाना है। इस संबंध में एनटीपीसी रिहंद द्वारा यह वचन दिया जाता है की परियोजना द्वारा अवशेष मलवा वन भूमि में नहीं डाला जाएगा। निर्माण एवं संचालन आदि से उत्पन्न कचरा का निस्तारण परियोजना क्षेत्र में ही किया जाएगा।

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से


08.02.21

(अजीत कुमार)

वरि०प्रबन्धक (मा०सं०)

अजीत कुमार / AJEET KUMAR
वरि० प्रबन्धक (मानव संसाधन) / Sr. Manager (H.R.)
एनटीपीसी-रिहंद / NTPC-Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०) / Sonbhadra (U.P.) 231223